

नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

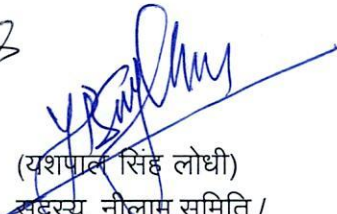
जनपद न्यायालय मेरठ के कम्प्यूटर अनुभाग में काफी मात्रा में खाली कार्टेज की नीलामी दिनांक 15.01.2026 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 2000-00 रु० प्रति बोलीदाता की दर से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो को, धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 15.01.2026 को समय 11:00 बजे तक करनी होगी। प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश, मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे बकाया धनराशि अंदर तीन दिवस में ही नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु



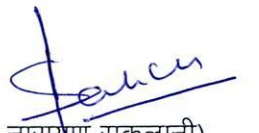
(राजमंगल सिंह यादव)
नोडल अधिकारी/
अपर जिला न्यायालय
कोर्ट सं० - 12, मेरठ।



(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य, नीलाम समिति /
विशेष न्यायाधीश पोक्सो
कोर्ट सं०-03, मेरठ।



(चन्द्रशेखर मिश्र)
सदस्य, नीलाम समिति /
अपर जिला जज,
कोर्ट सं०-09, मेरठ।



(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलाम समिति /
अपर जिला न्यायाधीश
कोर्ट सं०-01, मेरठ।

नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

जनपद न्यायालय मेरठ के कम्प्यूटर अनुभाग में काफी मात्रा में खाली कार्टेज की नीलामी दिनांक 15.01.2026 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 2000-00 रु० प्रति बोलीदाता की दर से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो को, धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 15.01.2026 को समय 11:00 बजे तक करनी होगी। प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश, मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे बकाया धनराशि अंदर तीन दिवस में ही नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

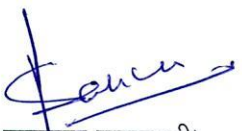
प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु


(राजमंगल सिंह यादव)
नोडल अधिकारी/
अपर जिला न्यायालय
कोर्ट सं० - 12, मेरठ।


(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य, नीलाम समिति /
विशेष न्यायाधीश पोक्सो
कोर्ट सं०-03, मेरठ।


(चन्द्रशेखर मिश्र)
सदस्य, नीलाम समिति /
अपर जिला जज,
कोर्ट सं०-09, मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलाम समिति /
अपर जिला न्यायाधीश
कोर्ट सं०-01, मेरठ।

नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

जनपद न्यायालय मेरठ के कम्प्यूटर अनुभाग में काफी मात्रा में खाली कार्टेज की नीलामी दिनांक 15.01.2026 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 2000-00 रु० प्रति बोलीदाता की दर से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो को, धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 15.01.2026 को समय 11:00 बजे तक करनी होगी। प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश, मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे बकाया धनराशि अंदर तीन दिवस में ही नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु



(राजमंगल सिंह यादव)
नोडल अधिकारी/
अपर जिला न्यायालय
कोर्ट सं० - 12, मेरठ।



(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य, नीलाम समिति /
विशेष न्यायाधीश पोक्सो
कोर्ट सं०-03, मेरठ।



(चन्द्रशेखर मिश्र)
सदस्य, नीलाम समिति /
अपर जिला जज,
कोर्ट सं०-09, मेरठ।



(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलाम समिति /
अपर जिला न्यायाधीश
कोर्ट सं०-01, मेरठ।

नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

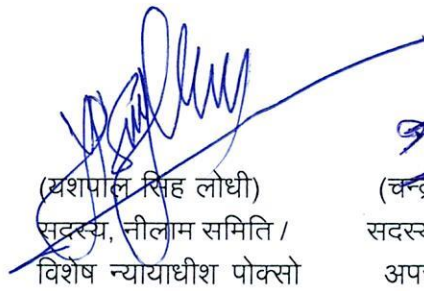
जनपद न्यायालय मेरठ के कम्प्यूटर अनुभाग में काफी मात्रा में खाली कार्टेज की नीलामी दिनांक 15.01.2026 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 2000-00 रु० प्रति बोलीदाता की दर से नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो को, धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 15.01.2026 को समय 11:00 बजे तक करनी होगी। प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश, मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे बकाया धनराशि अंदर तीन दिवस में ही नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु



(राजमंगल सिंह यादव)
नोडल अधिकारी/
अपर जिला न्यायालय
कोर्ट सं० - 12, मेरठ।



(यशपाल सिंह लोधी)
सदस्य, नीलाम समिति /
विशेष न्यायाधीश पोक्सो
कोर्ट सं०-03, मेरठ।



(चन्द्रशेखर मिश्र)
सदस्य, नीलाम समिति /
अपर जिला जज,
कोर्ट सं०-09, मेरठ।



(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलाम समिति /
अपर जिला न्यायाधीश
कोर्ट सं०-01, मेरठ।